

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन शाखा)

शुद्धि पत्र

अधिसूचना


दि०-२५-०९-१३


परियोजना का नाम- चंडी-सरमेरा राज्य उच्च पथ-78 निर्माण।


मौजा का नाम-दयालपुर, थाना नं०-291, थाना-चण्डी, जिला-नालन्दा

दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर" एवं "पिन्दार" में क्रमशः दिनांक 21.08.11 एवं 20.08.11 के पृष्ठ सं०-07 एवं 11 पर तथा "जिला गजट" के असाधारण अंक सं०-23 दिनांक 03.09.11 के पृष्ठ सं०-01 पर प्रकाशित अधिसूचना सं०-1445/रा०, दिनांक 08.08.11 को निम्नांकित संशोधन के साथ पढ़ा जाय।

(1) दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर" की पंक्ति 07 एवं "पिन्दार" की पंक्ति 06 तथा "जिला गजट" की पंक्ति 06 में प्रकाशित कमोवेश रकवा 4.785 एकड़ के स्थान पर 4.755 एकड़ पढ़ा जाय।

  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
नालन्दा।

  
अपर समाहर्ता,  
नालन्दा

  
समाहर्ता,  
नालन्दा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


६०६

सरकार के अवर सचिव

-2357/रा०

ज्ञापांक संख्या-15/डी0 एल0 ए0-नालंदा (रा0उ0प0)-05/11 -१-दिनांक-२५-०९-१३

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, नालंदा को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।